अनुसूची–14 फर्म सं0–563

आदेश की क्र0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला

सुषमा नीलम सोरेंग,

विविध वाद संख्या – 34/2019–20

सुरेन्द्र प्रसाद ..... अपीलार्थी

बनाम

सरकार ..... विपक्षी

आदेश

अंचल अधिकारी, गुमला के अपने पत्रांक – 993(ii) दिनांक – 11.10.2019 द्वारा सुरेन्द्र प्रसाद, पिता – स्व0 हिरालाल साहु, ग्राम – मुरली बगीचा, गुमला, पोस्ट – गुमला, थाना – गुमला, जिला – गुमला के आवेदन के आलोक में विविध वाद संख्या – 55/19 प्रारम्भ किया गया तथा मूल रूप में अभिलेख अनुमोदन हेतु भेजा गया है।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद, पिता – स्व0 हिरालाल साहु, ग्राम वो पोस्ट – मुरली बगीचा, गुमला, ने आवेदन दिया है कि मौजा – गुमला के खाता नं0 – 4, प्लॉट संख्या – 390 से रकबा – 0.09¼ एकड़ की खरीद एवं बिजेन्द्र प्रसाद वगैरह भाईयों के नाम 0.02½ एकड़ की खरीद की गई है। दोनों पट्टा के अनुसार कुल रकबा – पौने बारह डिसमील सभी

भाई अपने–अपने दखल में मकान बनाकर रह रहे हैं।

अंचल अधिकारी, गुमला द्वारा कर्मचारी/अंचल निरीक्षक को संयुक्त जाँच प्रतिवेदन हेतु पृष्टांकित आदेश दिया गया जिसके आलोक में सर्वे खतियान के अनुसार गुमला थाना नं0 – 59 के खाता नं0 – 4, प्लॉट संख्या – 890 कुल रकबा – 8.66 एकड़ भूमि दर्जा टांड दो बकास्त मालिक एवं लगान पाने वाले बड़ाईक देवनन्दन शींघ दर्ज है।

पंजी – II के पृष्ट संख्या – 360(vol-IV) में दाखिल–खारिज वाद संख्या – 42 आर 27/1982–83 के द्वारा खाता नं0 – 4, प्लॉट संख्या – 890, रकबा – 0.08¼ एकड़ भूमि का जमाबंदी हीरालाल साव, पिता – नथनी साव के नाम से कायम था। जिसमें से दो फरीक के नाम से नामान्तरण होकर 0.06 एकड़ भूमि आवेदक के भाईयों के नाम से जमाबंदी कायम है। शेष भूमि 0.02¼ एकड़ भूमि उक्त जमाबंदी में बचता है। अभिलेख में संलग्न दो रजिस्ट्री पट्टा एवं सादा बंटवारा नामा में कुल भूमि 0.11¾ एकड़ का विवरण मिलता है। जिसमें तीन फरीक विजेन्द्र प्रसाद वो देवेन्द्र प्रसाद वो योगेन्द्र प्रसाद के नाम से क्रमशः 0.03 एकड़, 0.03 एकड़ एवं 0.02¾ एकड़ कुल रकबा 0.08¾ एकड़ का जमाबंदी कायम होकर रसीद निर्गत हो रहा है। शेष भूमि 0.03 एकड़ भूमि बचना चाहिए परन्तु हिरालाल साव के नाम से 0.02¼ एकड़ भूमि शेष है।

स्थानीय जाँच एवं ट्रेस नक्शा के आधार पर आवेदक सुरेन्द्र साव, पिता – स्व0 हिरालाल साव का मकान–सहन 0.03 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। आवेदक का दखल–कब्जा है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार उनके द्वारा भौतिक सत्यापन कर आवेदक का मूल जमाबंदी में संशोधन हेतु अनुशंसा किया है।

पट्टा एवं सादा बंटवारा नामा में कुल भूमि 0.11¾ एकड़ का विवरण मिलता है। जिसमें तीन फरीक विजेन्द्र प्रसाद वो देवेन्द्र प्रसाद वो योगेन्द्र प्रसाद के नाम से क्रमशः 0.03 एकड़, 0.03 एकड़ एवं 0.02¾ एकड़ कुल रकबा 0.08¾ एकड़ का जमाबंदी कायम होकर रसीद निर्गत हो रहा है। शेष भूमि 0.03 एकड़ बचना चाहिए परन्तु हिरालाल साव के नाम से 0.02¼ एकड़ भूमि शेष है। स्थानीय जाँच एवं ट्रेस नक्शा के आधार पर आवेदक सुरेन्द्र साव, पिता – स्व0 हिरालाल साव का मकान–सहन 0.03 एकड़ भूमि पर बना हुआ है।

(4) अंचल अधिकारी, गुमला के आदेश में उल्लेखित है कि आवेदन के साथ संलग्न दो रजिस्ट्री पट्टा एवं सादा बंटवारानामा में कुल भूमि 0.11¾ एकड का विवरण मिलता है। जिसमें तीन फरीक विजेन्द्र प्रसाद वो देवेन्द्र प्रसाद वो योगेन्द्र प्रसाद के नाम से क्रमशः 0.03 एकड़, 0.03 एकड़ एवं 0.02¾ एकड़ कुल रकबा 0.08¾ एकड़ का जमाबंदी कायम होकर रसीद निर्गत हो रहा है। शेष भूमि 0.03 एकड़ भूमि बचना चाहिए परन्तु हिरालाल साव के नाम से 0.02¼ एकड़ भूमि शेष है। परन्तु स्थानीय जाँच एवं ट्रेस नक्शा के आधार पर आवेदक सुरेन्द्र प्रसाद का मकान 0.03 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। आवेदक का दखल–कब्जा है। अतः जमाबन्दी में संशोधन हेतु इस वाद को इस न्यायालय में अग्रसारित किया गया है।

उपरोक्त कागजात एवं अंचल की जाँच रिर्पोट, अंचल अधिकारी का आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उक्त दोनो बिक्री पट्टा के आधार पर आवेदक का 0.03 एकड़ भूमि पर मकान बना हुआ है एवं आवेदक दखलकार हैं।

अतः उक्त परिस्थिति में मूल जमाबन्दी में संशोधन किया जा सकता है।

<u>सरकारी अधिवक्ता का मंतव्य</u> :–

(1) वादग्रस्त भूमि का आर0 एस0 खाता नं0 – 4, प्लॉट नं0 – 890, कुल रकबा – 0.11¼ एकड़ (सावा ग्यारह डीसमिल मात्र) वाके मौजा – गुमला, थाना – गुमला, थाना नं0 – 59, जिला – गुमला है।

(2) आवेदक का कहना है कि उनके पिता – स्व0 हीरालाल साहु, वल्द स्व0 नुथुनी साहु ने खाता नं0 – 4, प्लॉट संख्या – 890 से सवा नौ डिसमील खरीद की गई है एवं विजेन्द्र प्रसाद वगैरह भाईयों के नाम से 0.02½ एकड़ जमीन खरीद की गई है। दोनो पट्टा के अनुसार कुल रकबा – पौने बारह डिसमील जमीन खरीद की गई है एवं सभी भाई अपने–अपने हिस्से में घर बनाकर रहन–सहन कर रहे है। उक्त जमीन को पंचों की उपस्थिति में आवेदक के चारों भईयों के बीच पंचनामा बंटवारा हो गया है। जिसमें विजेन्द्र प्रसाद को 0.03 एकड़, देवेन्द्र प्रसाद को 0.03 एकड़, योगेन्द्र के 0.02¾ एकड़ भूमि का दाखिल–खारिज कराकर दखलकार हैं। शेष तीन डिसमील का आवेदक के नाम से दाखिल–खारिज करने हेतु आवेदन दिया है। उक्त सभी भाईयों ने शपथ पत्र के माध्यम से उक्त बातों की पुष्टि की है।

(3) गुमला अंचल के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि पंजी – II के पृष्ट संख्या – 360(vol-IV) में दाखिल–खारिज वाद संख्या – 42 आर 27 / 1982–83 के द्वारा खाता नं0 – 4, प्लॉट संख्या – 890, रकबा – 0.08¼ एकड़ भूमि का जमाबंदी आवेदक के पिता हीरालाल साव(मृत), पिता – नथनी साव के नाम से कायम था। जिसमें से दो फरीक के नाम से नामान्तरण होकर 0.06 एकड़ भूमि आवेदक के भाईयों के नाम से जमाबंदी कायम है। शेष भूमि 0.02¼ एकड़ भूमि उक्त जमाबंदी में शेष बचता है। आवेदन के साथ संलग्न दो रजिस्ट्री

निष्कर्ष :– उपरोक्त कागजातों, अंचल का रिपोर्ट, अंचल अधिकारी, गुमला के आदेश एवं सरकारी अधिवक्ता (GP) द्वारा प्रस्तुत विधिक राय से सहमत हूँ। तथा संपुष्टि प्रदान करते हुए अंचल अधिकारी, गुमला को मूल जमाबंदी में संशोधन कर आवेदक के नाम से तीन डिसमील भूमि का जमाबंदी कर लगान रसीद निर्गत करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
गुमला।

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
गुमला।

Digitally signed by SUSHMA NEELAM SORENG
Date: 2022.05.30 11:57:41 +05:30
Location: 10.93.34.60